भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2313
जिसका उत्तर मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाएगा

अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण

2313. श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश की सभी निर्माता कंपनियों के अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण करते समय जीएसटी को शामिल करने का निर्देश देने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो उक्त दिशा-निर्देशों के कब तक जारी हो जाने की संभावना है और उसकी रूपरेखा क्या होगी; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क), (ख) और (ग): विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कतिपय घोषणाएं जैसे विनिर्माता/पैककर्ता/आयातक का नाम एवं पता, वस्तु का नाम, निवल मात्रा, विनिर्माण का माह एवं वर्ष, खुदरा बिक्री मूल्य और उपभोक्ता सेवा केंद्र के ब्यौरे आदि किया जाना अपेक्षित है।

विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार, विनिर्माताओं/पैककर्ताओं द्वारा उत्पादों पर सभी करों (जी.एस.टी.) सहित उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा किया जाना पहले से ही अपेक्षित है।

****